

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal)

No. 2098/2025

In

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 2768/2025

1. Sharda Devi Wife Of Deep Chand, Aged About 52 Years, Resident Of Chahron-Ki-Dhani, Tan Rijani, Police Station, Sadar Jhunjhunu, District Jhunjhunu At Present Lodged In The District Jail, Jhunjhunu
2. Deep Chand Son Of Poorana Ram, Aged About 54 Years, Resident Of Chahron-Ki-Dhani, Tan Rijani, Police Station, Sadar Jhunjhunu, District Jhunjhunu At Present Lodged In The District Jail, Jhunjhunu
3. Jai Prakash Son Of Poorna Ram, Aged About 48 Years, Resident Of Chahron-Ki-Dhani, Tan Rijani, Police Station, Sadar Jhunjhunu, District Jhunjhunu At Present Lodged In The District Jail, Jhunjhunu

----Appellants

Versus

State Of Rajasthan, Through The Public Prosecutor

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Ashvin Garg, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Jitendra Singh Rathore, AGA Mr. Anil Mahela, Adv. For Complainant

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL

Order

12/11/2025

1. प्रार्थीगण—अभियुक्तगण 1.शारदा देवी, 2. दीपचंद एवं 3. जयप्रकाश की ओर से धारा 430 बी.एन.एस.एस. (धारा 389 दं.प्र.सं.) के अंतर्गत, विद्वान विचारण न्यायालय— सेशन न्यायाधीश, झुंझुनू (राजस्थान) के द्वारा सेशन प्रकरण संख्या— 29/2023, सी.आई.एस. नम्बर— 42/2023, उनवान राजस्थान राज्य बनाम शारदा देवी व अन्य में पारित निर्णय व दंडादेश

दिनांक **29.09.2025**, जिसके द्वारा प्रार्थीगण—अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा **342, 323, 325 एवं 367 भारतीय दण्ड संहिता** में दोषसिद्ध कर निम्न दंडादेश पारित किया गया है, के विरुद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है—

अपराध अंतर्गत धारा	सजा	अर्थदंड	अदम अदायगी अर्थदंड
342 भा.दं.सं.	01 वर्ष के साधारण कारावास		
323/34 भा.दं.सं.	01 वर्ष के साधारण कारावास		
325/34 भा.दं.सं.	05 वर्ष के साधारण कारावास	5,000/— रुपये	6 माह का साधारण कारावास
367/34 भा.दं.सं.	07 वर्ष के कठोर कारावास	10,000/— रुपये	1 वर्ष का कठोर कारावास

2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण—अभियुक्तगण की ओर से नियम 311 (3) राजस्थान उच्च न्यायालय नियमावली 1952 का प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न किया गया है।
3. बहस सुनी गई।
4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण—अभियुक्तगण का दौराने बहस कथन है कि प्रस्तुत मामले में प्रार्थीगण—अभियुक्तगण निर्दोष है, उन्हें इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है, उनके द्वारा आहत के साथ कोई मारपीट नहीं की गई है। पत्रावली पर उन्हें दोषसिद्ध करने हेतु पर्याप्त सामग्री/साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उनका यह भी कथन है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य का गहनतापूर्वक विवेचन किए बिना ही उक्त आलौच्य आदेश दिनांक 29.09.2025 पारित किया है, जो कि विधिसम्मत नहीं है, उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट में परिवादिया ने उसे घटना की जानकारी दीपा द्वारा दिया जाना अंकित किया है, किंतु प्रकरण में दीपा को अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया है। उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में आहत राजेन्द्र को शराब पिलाकर व घसीटकर घर के अंदर ले जाकर मारपीट करना बताया गया है, किंतु गवाह पी.ड. 08 डॉ. नवनीत मील ने अपने बयानों में आहत राजेन्द्र के दोनों बाजुओं, कोहनियों तथा हथेलियों पर चोटें नहीं होना, उसके शरीर व मुंह से शराब की कोई बदबू

नहीं होना, कूल्हों पर कोई चोट नहीं होना कथन करते हुये यह भी स्वीकार किया है कि आहत के पैर में भी फ्रैक्चर सख्त धरातल पर गिरने के कारण आने से इंकार नहीं किया जा सकता। उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के 1 दिन बाद दर्ज कराई गई है एवं आहत का मेडिकल मुआयना भी घटना के अगले दिन हुआ है एवं उसके बयान 04 दिन बाद रिकॉर्ड किये गये है। उनका यह भी कथन है कि आहत को मार्मिक स्थल पर कोई गंभीर चोट नहीं आई है, परिवादिया/अभियुक्ता शारदा देवी से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है, उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में प्रार्थीगण-अभियुक्तगण विचारण के दौरान जमानत पर आजाद थे एवं वर्तमान में दिनांक 29.09.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं, प्रस्तुत अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अतः न्यायहित में उनका सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

5. उप राजकीय अधिवक्ता एवं विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए प्रार्थीगण-अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किए जाने की प्रार्थना की।

6. मैंने पत्रावली का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

7. प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण-अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा अपील में उठाये गये कानूनी मुद्दों एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थीगण-अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. परिणामतः प्रार्थीगण-अभियुक्तगण **1. शारदा देवी पत्नी दीपचंद, 2. दीपचंद पुत्र पूर्णाराम एवं 3. जयप्रकाश पुत्र पूर्णाराम** की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी-अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद **50,000/-रुपए (अक्षरे पचास हजार रुपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं

25,000—25000 /—रूपए (अक्षरे पच्चीस—पच्चीस हजार रूपये) की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दें कि वे इस न्यायालय में दिनांक **08.12.2025** को एवं तत्पश्चात् जब भी उन्हें आदेशित किया जावे, उपस्थित होते रहेंगे, तो विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) की क्रियान्विती इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखी जावे।

(BHUWAN GOYAL),J

DEEPAK SAINI /63